सत्यमेव जयते

हिंदी अनुभाग
केंद्रीय अनुसंधान संस्थान
कसौली

केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली

CENTRAL RESEARCH INSTITUTE KASAULI

Estd. 1905

विषादौषधमारोग्य च।

RESEARCH BIOLOGICALS QUALITY

हिंदी पखवाड़ा–2022

रिपोर्ट/पत्रिका

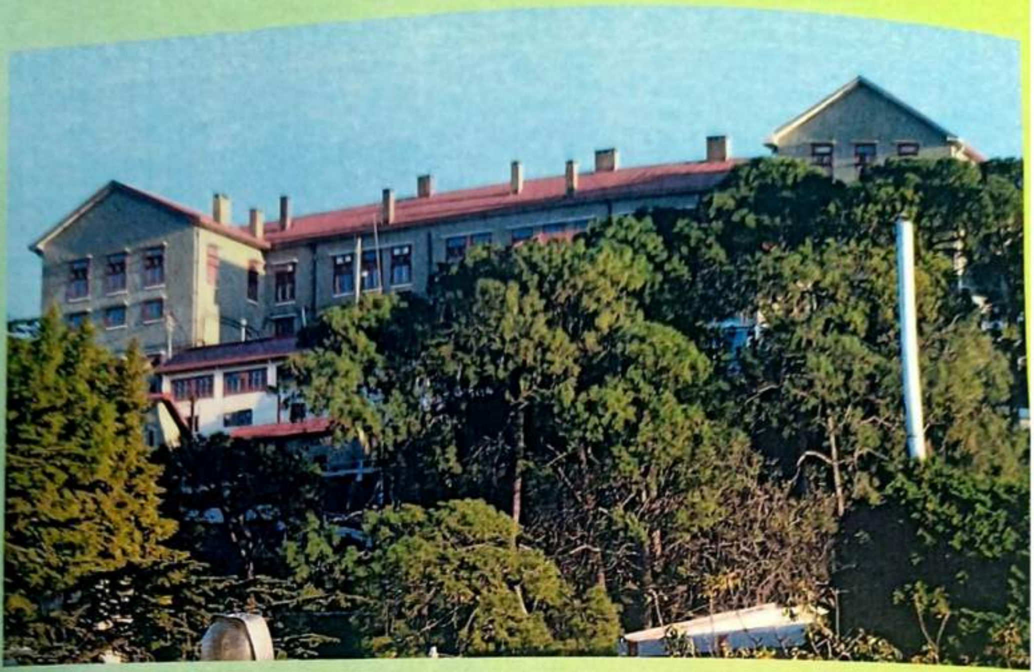

रस की भाषा,
शिष्टाचार की भाषा,
अमर रहे हिंदी,
राष्ट्र की भाषा।

केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, हिमाचल प्रदेश
निदेशकः डा.(श्रीमती)डिम्पल कसाना

हिंदी परिवार

श्री बिमल कुमार शर्मा, सहायक निदेशक(राजभाषा)
श्री दीपक, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
श्री सचिन, निम्न श्रेणी लिपिक
श्री अमित कुमार, एम.टी.एस.

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समितिः-

डा.(श्रीमती) डिम्पल कसाना, निदेशक एवं पदेन अध्यक्ष
डा. शुभदीप महापात्र, सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा), सदस्य
डा. वेदागिरी कुमारेसन, सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा), सदस्य
डा. रोमिका लतावा, सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा), सदस्य
डा. यशवन्त कुमार, प्रभारी अधिकारी प्रशासन, पदेन सदस्य
श्री इंद्रजीत सिंह, लेखा अधिकारी, पदेन सदस्य
श्री उत्तम सिंह, भंडार अधिकारी, पदेन सदस्य
श्री बिमल कुमार शर्मा, सहायक निदेशक(राजभाषा), सदस्य-सचिव

हिंदी पखवाड़े की मौखिक प्रतियोगिताओं का निर्णायक मंडल

डा. यशवंत कुमार, सहायक निदेशक(गैर-चिकित्सा
डा. अबलेश गौतम, सहायक निदेशक(गैर-चिकित्सा)
डा.संजय तुकाराम चव्हाण, सहायक निदेशक(गैर-चिकित्सा)
डा. राजेश कुमार, उप सहायक निदेशक(गैर-चिकित्सा)
डा. सुचिता श्रीवास्तव, उप सहायक निदेशक(गैर-चिकित्सा)
श्री इंद्रजीत सिंह, लेखा अधिकारी

हिंदी अनुभाग-एक परिचय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में सन्निहित संघ की राजभाषा नीति संबंधी उपबंधों के अनुपालन तथा इस राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से संस्थान में वर्ष 1981 में हिंदी अनुभाग की स्थापना की गईथी तभी से यह अनुभाग इस दिशा में अपने भरसक प्रयास करता आ रहा है भारत सरकार के गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संपूर्ण भारतवर्ष को तीन भाषायी खंडों में बांटा गया है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, हिंदी भाषी क्षेत्र अर्थात 'क' क्षेत्र में स्थित है। इसलिए इस कार्यालय से यह अपेक्षा की जाती है कि यहां से होने वाला न केवल संपूर्ण पत्राचार हिंदी अथवा द्विभाषी रूप में किया जाए बल्कि राजभाषा कार्यान्वयन की अन्य अपेक्षताओं को भी पूरा किया जाए, जिसके लिए यह अनुभाग संस्थान निदेशक के सफल मार्गदर्शन में कार्य करते हुए भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।

इस अनुभाग की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से हैः-

- संस्थान में इस अनुभाग के माध्यम से अनुवाद की समुचित व्यवस्था करना। प्रशासनिक स्वरूप के अनुवाद के साथ-साथ संस्थान की प्रयोगशालाओं की मानक प्रचालन प्रक्रियाओं से संबंधित साहित्य द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाना।
- गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग),स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के राजभाषा नीति संबंधी आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित करना तथा उनमें दिये गए सुझावों/लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सभी (त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक, वार्षिक) रिपोर्टों को समय पर संबंधित कार्यालयों को भेजना।
- भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत संस्थान में वर्ष, 1983 से स्थापित अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र में विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत हिंदी टंकण, प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ का प्रशिक्षण देना तथा इन प्रशिक्षणों से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन करना।

- राजभाषा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को संस्थान में लागू करवाना।
- संस्थान में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 2014 से एक विशेष नकद पुरस्कार योजना चलाई जा रही है जिसे निदेशक महोदया की संस्तुति से चालू वर्ष के लिए भी जारी रखा गया है।
- वार्षिक कार्यक्रम की एक अपेक्षता संस्थान में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस/पखवाड़े का आयोजन कर विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना तथा हिंदी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन करना।
- संस्थान में हिंदी में कार्य करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने तथा राजभाषा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से समय समय पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- वार्षिक कार्यक्रम की अन्य अपेक्षताओं को पूरा करने की दृष्टि से हिंदी अनुभाग में एक हिंदी पुस्तकालय की स्थापनाकी गई है जिसमें प्रतिवर्ष कुछ अच्छी पुस्तकों (साहित्यिक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्य संबंधी) की खरीद करके पुस्तकों की संख्या में अभिवृद्धि करना। वर्ष 2022 के दौरान विभिन्न ज्ञानवर्धक पत्रिकाओं के 122 अंक पाठकों को उपलब्ध करवाए गए।
- संस्थान का कार्य तकनीकी स्वरूप का होने के बावजूद भी यहां राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रयास सतत् रूप से जारी है। इसी परिपेक्ष में वर्ष 2012 से हिंदी पत्रिका का प्रकाशन भी इस संस्थान के हिंदी अनुभाग द्वारा प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

****

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को 14 सितंबर, 1949 को हमारे देश की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। तभी से 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 351 के अनुसार इस भाषा के प्रचार-प्रसार का उत्तरदायित्व भारत सरकार को सौंपा गया है। इस परिपेक्ष में भारत सरकार का राजभाषा विभाग समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश जारी करता रहता है। इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुपालन में केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय में प्रति वर्ष हिंदी दिवस अथवा पखवाड़े का आयोजन किया जाना तथा कर्मचारियों में हिंदी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना अनिवार्य बनाया गया है। इस संदर्भ में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में दिनांकः- 14.09.2022 से 29.09.2022 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन कर हिंदी की पांच लिखित और तीन मौखिक प्रतियोगितायों का आयोजन किया गया ।

उक्त प्रतियोगिताओं में संस्थान के अनुसचिवीय कर्मचारियों के साथ-साथ अननुसचिवीय कार्मिकों ने भी बढ़-चढ़ कर भाग लिया और अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। इन प्रतियोगिताओं के लिए संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा दिए गए निदेशानुसार हिंदी दिवस अर्थात दिनांकः- 29.09.2022 को संस्थान की निदेशक डा. (श्रीमती) डिम्पल कसाना की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संस्थान केविभिन्न अधिकारी/कार्मिकों यथा श्रीमती अर्चना चौहान, सहायक प्रावैधिक अधिकारी (रोग नैदानिक अभिकर्मक प्रयोगशाला); श्री योगिंदर सिंह, प्रयोगशाला उपस्थायक(राष्ट्रीय साल्मोनेला एवं एस्चेरिचिया केंद्र) और श्री करण जौरवाल,अवर श्रेणी लिपिक (देयक अनुभाग) को पुरस्कृत किया गया। इसी के साथ हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक अनुसचिवीय अनुभाग (प्रशासन अनुभाग) और दो प्रयोगशालाओं (आलर्क अनुसंधान केंद्र एवं राष्ट्रीय साल्मोनेला एवं एस्चेरिचिया केंद्र) को भी पुरस्कृत किया गया। हिंदी में मूल टिप्पण-आलेखन योजना में दस कार्मिकों, सर्वश्री/श्रीमती संजय बेदी, उच्च श्रेणी लिपिक; जागृति शर्मा,कार्यालय अधीक्षक; हरचरण सिंह, उच्च श्रेणी लिपिक; रणजीत शर्मा,प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ ; गौरव भारद्वाज, उच्च श्रेणी लिपिक;चंद्रा ठाकुरनिम्न श्रेणी लिपिक; मो. मुबारक अंसारी, उच्च श्रेणी लिपिक;नरेंद्र सिंह-II, प्रयोगशाला उपस्थायक;रमेश कुमार चोपड़ा, डिस्पेंसर तथाइंद्रजीत शर्मा, प्रयोगशाला सहायकको भी इस अवसर पर पुरस्कृत किया गया। संस्थान की निदेशक और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्ष डा.(श्रीमती) डिम्पल कसाना का पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन हिंदी परिवार को मिल रहा है और उन्हीं के परामर्श से हिंदी अनुभागीय गतिविधियों और हिंदी पखवाड़ा संबंधी पत्रिका का दसवां अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पत्रिका में पुरस्कृत निबंधों के साथ-साथ अच्छे स्तर के निबंधों एवं कर्मचारियों की स्व-रचित कविताओं/लेखों को संकलित किया गया है। इन रचनाओं के त्रुटिरहित संपादन का यद्यपि भरसक प्रयास किया गया है तथापि प्रयास मात्र होने के कारण इसमें कुछ कमियों का रह जाना स्वाभाविक है। अस्तु पत्रिका के भावी प्रकाशन के लिये पाठकों के सुझाव आमंत्रित है।

संपादक

संदेश

हम सब भारत के नागरिक है और हिंदी हमारी राजभाषा है। इसलिए हम सभी का यह उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने देश की राजभाषा का सम्मान करें। केंद्र सरकार के कर्मचारी होने के कारण हमारा यह कर्त्तव्य बन जाता है कि हम अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें और अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दें। राजभाषा के प्रयोग से जुड़े आदेश समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं जिनका समुचित रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होता है परंतु यह तभी संभव हो सकता है जब हम अपनी मानसिकता में बदलाव लायें। इसलिये इस शुभ अवसर पर मैं संस्थान के समस्त कार्मिकों से अपील करती हूँ कि न केवल हिंदी पखवाड़े के दौरान बल्कि वर्ष भर अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें। देश की राजभाषा के प्रति लिया गया यह संकल्प उसकी सच्ची सेवा में सहायक होगा ऐसा मेरा विश्वास है।

(डा. (श्रीमती) डिम्पल कसाना)
निदेशक।

हिंदी पखवाड़ा वर्ष – 2022

केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, हिमाचल प्रदेश

<u>संपादन मंडल</u>

<u>संरक्षकः-</u> डा. (श्रीमती) डिम्पल कसाना
निदेशक

<u>संपादकः-</u> श्री बिमल कुमार शर्मा
सहायक निदेशक(राजभाषा)

<u>संपादन सहयोगः-</u>
श्री दीपक,कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी } टंकण कार्य
श्री सचिन, निम्न श्रेणी लिपिक

- इस अंक में	पृष्ठ संख्या
- प्रतियोगिता परिणाम	1.
- पुरस्कृत निबंध	2.-14.
- स्व-रचित लेख	15.-19.
- स्व-रचित कविता संकलन	20.-27.
- झलकियां	28.-40.

प्रतियोगिता परिणाम

प्रतियोगिता का नाम	प्रथम स्थान	द्वितीय स्थान	तृतीय स्थान
हिंदी निबंध	श्री प्रशांत चंद	श्री करण जौरवाल	कु.श्रेया शर्मा
हिंदी टिप्पण आलेखन	मो.मुबारक अंसारी	श्रीमती जागृति शर्मा	कु. संगीता परिहार
हिंदी टंकण	श्री अंकित	कु. संगीता परिहार	श्री राजेश कुमार
अनुवाद	श्री प्रशांत चंद	श्री मनोज कुमार शर्मा	मो.मुबारक अंसारी
प्रश्नोत्तरी(क्विज)	कु. संगीता परिहार कु. भावना त्यागी श्री छोटू कुमार	श्री प्रदीप नैथानी श्री अंशुल जंड श्री प्रशांत चंद	मो.आफताब श्री गौरव भारद्वाज श्री अंकित
सुलेख एवं श्रुतलेख	कु. सारिका शर्मा	श्रीमती निरूपमा गौतम	श्री करण जौरवाल
स्व-रचित कविता पाठ	कु. पूनम पाल	कु.संस्कृति शर्मा	श्रीमती जागृति शर्मा
तात्कालिक सम्भाषण	श्री प्रशांत चंद	श्री गौरव भारद्वाज	श्रीमती जागृति शर्मा

पुरस्कृत निबंध

2.

देश की राजनीति में आम नागरिक की भूमिका

नागरिक सभ्यता के विकास के साथ ही राज्य की अवधारणा अस्तित्व में रही। राज्य की उत्पत्ति समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों के आपसी संबन्धों के नियमन से हुई जो आज केवल नियम कानून न होकर लोक कल्याण मानव के नैतिक विकास एवं आर्थिक कल्याण का उपकरण बन गया है।

राज्य के कार्य कलाप, नीति निर्माण एवं विधि निर्माण की सम्मिलित प्रक्रिया ही राजनीति कहलाती है। राजनीति का उद्देश्य राज्य के कार्यों का सुचारू तरीके से निष्पादन करना है।

राज्य व्यक्ति का विस्तृत रूप है। राज्य की प्रकृति एवं प्रवृत्ति उसके नागरिकों पर निर्भर है। राज्य लोकतंत्र होगा, धर्मतंत्र होगा या सैनिक शासन पर आधारित होगा यह व्यक्तियों की अभिवृत्ति एवं उनकी मान्यताओं से निर्धारित होता है।

प्राचीन यूनानी चिंतन से लेकर आधुनिक लोकतंत्र तक राजनीति का प्रमुख विचार विमर्श आमनागरिकों की राज्य के कार्यों में सहभागिता किस प्रकार और कितनी की जा रही है।

नागरिक राज्य का वह व्यक्ति होता है जो राज्य के लिए अपनी निष्ठा व्यक्त करे एवं उसके संविधान के पालन का वचन दे। राजनीति एक सार्वजनिक क्षेत्र है जहां निर्णय व्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित न होकर समाज के मूल्यों एवं उनकी प्रगति को देखकर किए जाते है। पुरानी राजतंत्र की अवधारणा, नागरिकों की भागीदारी को अत्यन्त सीमित कर देती थी। व्यक्ति केवल राज्य के लिए एक उपकरण मात्र होता या शासन कुछ विशेष व्यक्तियों जैसे राजा एवं व्यक्ति तक सीमित था।

आधुनिक विश्व में राजतंत्र की मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया गया एवं लोकतंत्रात्मक शासन की अवधारणा का यूरोप से एशिया, अफ्रीका एवं अमेरिका में विस्तार हुआ। लोकतंत्र का उद्देश्य नागरिकों की सहमागिता में वृद्दि करना एवं एक सक्रिय नागरिक का निर्माण करना है। आधुनिक समय में देश की राजनीति एक संक्रमण काल से गुजर रही है। सरकार के कार्यों का व्यक्तियों द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। सरकार के कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का सिद्धान्त विकसित हो रहा है एवं नागरिक अपने अधिकार्यों को लेकर सचेत हो रहे है।

राजनीति में नागरिक की भागीदारी मताधिकार के द्वारा प्राथमिक रूप से सुनिश्चित की जाती है। सभी वयस्क नागरिक मताधिकार द्वारा यह सुनिश्चित करते है की सरकार की शक्तियों का प्रयोग किस व्यक्ति/समूह द्वारा किया जाएगा। यह भूमिका जितनी सरल है उतनी ही

दूरगामी परिणाम देने वाली है। यदि नागारिकों द्वारा एक उत्तम चरित्र के व्यक्ति, एक अच्छी नीति वाली राजनीतिक पार्टी का चुनाव किया जाता है तो राष्ट्र उन्नति की दिशा में अग्रसर होता है। यदि सरकार का चयन गुणों के आधार पर न होकर जाति वंश के आधार पर होगा तब राज्य की स्थिति अवनति की ओर अग्रसर होगी। वर्तमान में श्रीलंका इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। नागरिकों को लोक लुभावने वादे जाति धर्म जैसी प्राचीन व्यवस्था के अवशेषों से आगे बढ़कर लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य अर्थात जनसंप्रभुता को साकार करना चाहिए। इसके लिए नागरिकों को व्यक्तिगत हितो से ऊपर उठकर सार्वजनिक कल्याण पर बल देना चाहिए।

व्यक्ति/नागरिक की दूसरी भूमिका सरकार के कार्यों को उचित रूप में प्रभावित करने एवं नियंत्रण की है। राजनीतिक दल, नागरिक समाज, ट्रेड यूनियन, गैर-सरकारी संगठन(NGO), दबाव समूह के सदस्य के रूप में व्यक्ति इस भूमिका का निर्वहन करता है। 1974-75 के आपातकाल के दौर में जयप्रकाश नारायण का आन्दोलन, 2011 में अन्ना हजारे का आन्दोलन, 2014 में निर्भया प्रकरण में विस्तृत विरोध, पर्यावरण संबंधी चिपको आन्दोलन, नर्मदा आन्दोलन नागरिकों की राजनीति में भूमिका के प्रमुख उदाहरण है। जहाँ नागरिकों की राजनीतिक गतिविधियों ने सरकार को आपातकाल वापस लेने, लोकपाल अधिनियम, यौन हिसां के मामलो पर कठोर एवं त्वरित न्याय प्रक्रिया जैसे निर्णयों के लिए बाध्य किया। इस प्रकार के आन्दोलन नागरिक के राजनीतिक शिक्षण का कार्य करते है एवं सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि करते है। यद्यपि नागरिकों की अज्ञानता एवं धर्म जाति के प्रति उनकी सुभेद्यता का लाभ उठाकर कुछ दलों द्वारा इसका दुरूपयोग भी किया जाता है। जातिवादी आन्दोलन, अलगाववादी समस्याएं इसके प्रमुख उदाहरण है।

राजनीतिक क्रियाकलाप का उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का विकास करना है। सार्वजनिक क्रियाकलापों में सहभागिता द्वारा व्यक्ति निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर सार्वजनिक कल्याण के प्रति प्रेरित होता है। लोकतंत्र के सफल होने के लिए आवश्यक है कि नागरिक अपनी भूमिका का उचित रूप से निर्वहन करें। भारतीय संविधान में व्यक्ति के मूल अधिकार के साथ-साथ व्यक्ति के मूलकर्तव्यों का भी वर्णन है। मूलकर्तव्य नागारिकों की सक्रिय भागीदारी के लिए मार्गदर्शक की तरह है जिसमें नागारिकों की वैज्ञानिक-अभिवृत्ति के विकास, पर्यावरण संरक्षण जैसे मूल्यों के विकास पर बल दिया गया है। सफल लोकतंत्र, सक्रिय एवं नैतिक नागरिकों के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। यदि नागरिक अपनी भूमिका का उचित निर्वहन न करें तो राज्य भीड़तंत्र या फासीवादी शासन में परिवर्तित हो जाएगा जो राज्य के अन्तराष्ट्रीय संबंधों को बुरी तरह प्रभावित करेगा।

राजनीतिक भागीदारी का उद्धेश्य "जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है"।सहमति सेनिर्णय निर्माण, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, व्यक्ति का नैतिक उत्थान अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों सभी सक्रिय नागरिकों पर निर्भर है। बेहतर नागरिक ही उत्तम राज्य को सुनिश्चित करता है।

श्री प्रशांत चंद
एम.टी.एस.

****

आधुनिक भारत में अपने अस्तित्व को तलाशती राजभाषा

संसद में लम्बी बहस के बाद 14 सिंतबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ विभिन्न भाषाऐं बोली और लिखी जाती है जिसकी वजह से अलग-अलग प्रांत में बटें भारत को एक भाषा के धागे मे पिरोना कठिन था। भारत में अधिकारिक तौर पर 22 भाषाएं हैं। अलग-अलग प्रांत में अलग-अलग भाषा होने के कारण संघ के कार्यों और दो राज्यों के बीच संबंध बिठाने के उद्देश्य से हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर अपनाया गया, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था कि यह पहली बार होगा जब कोई संघ किसी एक भाषा को राजभाषा के तौर पर अपना रहा है और यह एक गर्व की बात है।

हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि को राजभाषा के तौर पर अपनाया गया हालांकि शुरूआत के 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा में कार्य करने की छूट दी गयी थी। कोई भी भाषा को अपनाना एक मानसिक क्रिया है हम जिस किसी भाषा को उपयोग में लेते हैं हम उसी के अभ्यस्त हो जाते है किन्तु अधिकतम भारतीय कार्य प्रणाली पुरानी अंग्रेजी व्यवस्था पर ही आधारित है। भारतीय शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों की देन है जिसका प्रभाव यह है कि भारत में अधिकांश बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी में दी जाती है जिस वजह से वे हिंदी भाषा से वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते हैं जिस कारण हिंदी भाषा उस सम्मान से वंचित रहती है जो एक राजभाषा को मिलना चाहिए।

आधुनिक भारत प्रगतिशील भारत है, आज का दौर विज्ञान एंव तकनीक का दौर है। आज भारत विश्व मंच पर खड़ा है जहां अंग्रेजी भाषा का बोला-बाला है । अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है जिस वजह से आज विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है तथा जहाँ पहले हिंदी भाषा पढ़ाने पर जोर दिया जाता था वहीं नई शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है । जिसकी वजह सें आज हिंदी भाषा को अपना अस्तित्व बचाने के लिए कठिन प्रयास करने पड़ रहे हैं। हालांकि समय-समय पर सरकार द्वारा इस ओर ध्यान दिया जाता है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने हेतु संघ के कार्यों को हिंदी अथवा द्विभाषी रूप मे करने का आदेश दिया जाता है जिसे और अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्षेत्रों को भाषा के आधार पर क,ख, और ग क्षेत्रों मे विभाजित भी किया गया है। समस्त कार्यालयों मे सिंतबर माह में हिंदी पखवाड़ा का

आयोजन किया जाता है तथा कर्मचारियों के उत्साहवर्धन हेतु हिंदी भाषा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया जाता है । समस्त विभागों में एक हिंदी अनुभाग बनाया गया है, जो यह तय करता है कि कार्यालय हिंदी भाषा के प्रयोग से संबंधित निर्देशों का पालन कर रहा है अथवा नहीं परंतु जब तक आमजन हिंदी भाषा से जुड़ाव महसूस नहीं करेगा तब तक यह सुनिश्चित कर पाना कठिन होगा कि हिंदी को वह सम्मान प्राप्त हो जो एक राजभाषा को मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार यह तय करे कि स्कूली प्राथमिक शिक्षा हिंदी में हो जिससे सभी हिंदी भाषा से जुड़ाव महसूस कर पाये। हिंदी को एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू करें जिससे सभी हिंदी भाषा में कार्य करने में सक्षम हो तथा गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी का ज्ञान दिया जाये जिससे कोई गैर-हिंदी भाषी एक हिंदी भाषी क्षेत्र में जाने पर सहजमहसूस कर सके। विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी ऐसे विषय है जो अन्तर्राष्ट्रीय है इसलिए इससे संबंधित अध्ययन सामग्री हिंदी भाषा में भी उपलब्ध होनी चाहिए। जब तक हिंदी भाषा को अध्ययन के क्षेत्र में प्रारंभिक रुप अनिवार्य नहीं किया जायेगा इसे राजभाषा के तौर पर अपना अस्तित्व तलाशने के लिए सदैव प्रयासरत रहना होगा और जिस सम्मान की कोई राजभाषा अधिकारी होती है वह मिल पाना एक दिवास्वप्न बना रहेगा।

करण जौरवाल
निम्न श्रेणी लिपिक

****

समय का सदुपयोग

समय अत्यधिक बलवान है। इसका हमारे जीवन में बहुत अहम स्थान है। बीता हुआ समय कभी वापिस नहीं आता और यह एक कटु सत्य है कि जो व्यक्ति समय के अनुसार नहीं चलता वह कभी भी अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता। समय बहुमूल्य है यह व्यक्ति को कदम कदम पर नई-नई चुनौतियों से अवगत करवाता है। सुख और दुख दोनों समय का ही एक रूप है। जीवन के ये दोनों रूप समय के साथ बदलते जरूर है। समय कभी ठहरता नहीं है। समय का स्थान जीवन में वही व्यक्ति समझ सकता है जो जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा रखता है। जीवन की यात्रा मनुष्य को कई उद्धेश्यों से अवगत करवाती है, अपनी मंजिल की ओर अग्रसर करवाती है। बड़े बुजुर्गों से मनुष्य समय की अनंत प्रभावशाली विशेषताओं के बारे में जानता है। आज के युग में मनुष्य भाग रहा है, समय से आगे दौड़ने के इस दौर में मनुष्य समय के सदुपयोग को भूल रहा है। आज के इस युग में मनुष्य के पास समय ही नहीं है। न वह समय पर सोता है न समय पर खाता है। मनुष्य के पास अपने लिए भी समय नहीं है। मनुष्य अपने परिवार तक के लिए समय नहीं निकाल पा रहा है। भविष्य को सुखी खुशहाल बनाने की इस दौड़ में मनुष्य वर्तमान समय के सदुपयोग को भूल रहा है। जीवन की इस यात्रा का प्रायः कोई अनुमान नहीं है। जैसे प्राण बहुमूल्य है, वैसे ही समय बहुमूल्य है। मनुष्य अपने सारे आवश्यक कार्यों को टाल देता है। समय पर छोड़ देता है। यह भूल जाता है कि बीता हुआ समय कभी वापिस नहीं मिलता। समय के साथ जो व्यक्ति कदम से कदम मिलाकर चलता है वह कभी लड़खडाता नहीं है। “काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरि करेगा कब”। यह कबीरदासजी की पंक्ति हर मनुष्य के जीवन की सच्चाई है। जो व्यक्ति यह भूल जाएगा वह निश्चित रूप से अपनी जीवन यात्रा में कई कठिनाइयों से गुजरेगा। समय का महत्व हर व्यक्ति को समझना अनिवार्य है। समय से बलवान कुछ भी नहीं है। जन्म से मृत्यु तक का सफर समय के हाथों में है।

समय का महत्व मनुष्य केवल किताबों, अखबारों व स्कूलों में ही नहीं समझता बल्कि जीवन की कठिनाइयों, चुनौतियों से भी सीखता है। जब तक मनुष्य समय का सदुपयोग करना समझता है तब तक समय निकल जाता है। अंत में मनुष्य के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। समय हमें जीवन के हर एक पल को खुशी से जीने की प्रेरणा देता है। समय से आगे दौड़ने से मनुष्य छोटी-छोटी खुशियों से वंचित रह जाता है। समय हमारे अनुसार नहीं चलेगा,

हमें समय के अनुसार चलना पड़ेगा। एक खुशहाल संपूर्ण व्यक्ति वही है जो समय के महत्व को अपने जीवन में अपनाता है। इसके विपरीत ऐसा व्यक्ति सदैव दुखों से घिरा रहता है जो समय का दुरूपयोग करता है। समय जीवन की कठोर सच्चाई है। समय को प्रेरणा बनाकर मनुष्य कुछ भी हासिल कर सकता है। युवा पीढ़ी को समय का महत्व समझाना ही हमारे देश को उच्च सफलता की ओर ले जा सकता है, क्योंकि युवा पीढ़ी ही हमारे देश का भविष्य है। इस उज्ज्वल भविष्य की नींव युवा समय का सदुपयोग करके ही हमारे देश की उन्नति में सहायक बन सकेगें।

कु.श्रेया शर्मा
एम.एस.सी. छात्रा,

****

देश की राजनीति में आम नागरिक की भूमिका

राजनीति से अभिप्राय है किसी भी भू-भाग या वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन नीतियों को अमल में लाया जाता है । वैश्विक स्तर पर किसी भी देश का राजनीतिक रसूख इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की आम जनता(नागरिक) राजनीति में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कितने भागीदार हैं। अमूमन यह देखा गया है कि जिन देशों में नागरिक राजनीति की समझ रखने के साथ-साथ अपना योगदान भी देते हैं वे देश अर्थव्यवस्था में भी वैश्विक स्तर पर अच्छे पायदान पर होते है।

दुनिया की पहली चार-पाँच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची पर नजर डाले तो यह सिद्ध हो जाएगा कि वहाँ की आम जनता राजनीति में सही तरह से प्रश्न पूछ कर देश को सही दिशा की ओर अग्रसर करती है। आम नागरिक देश की राजनीति में सही नेताओं को चयनित कर भेजने की ताकत रखते हैं, क्योंकि यहीं से एक मजबूत राष्ट्र की नींव डलती है। चुनाव के समय प्रत्याशी की योग्यता को ध्यान में रखना चाहिए। एक योग्य उम्मीदवार ही आम जनता की अपेक्षाओं को साकार करके उन पर खरा उतर सकता है।

देश की राजनीति में किसी भी प्रकार की विसंगति दिखने पर एक जागरूक नागरिक सरकार से प्रश्न पूछ कर उसे सही मार्ग पर आने को बाध्य कर सकता है। जिन विषयों पर सरकार ध्यान ना दे रही हो अपने चुने हुए उम्मीदवारों द्वारा सरकार तक उन मुद्दों को पहुँचा सकता है। जमीनी स्तर पर किसी भी देश में बहुत सी समस्याएं हो सकती है जो सरकार की नजरों से अछूती रही हो। आम नागरिक देश की मिट्टी से जुड़ा होता है इसलिए उन समस्याओं को महसूस कर पाता है। कई बार बहुत छोटी समस्याएं देश की प्रगति में बाधा बन रही होती हैं। ऐसे में जनता द्वारा उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने से देश की प्रगति को बल मिल सकता है।

बहुत बार देखा गया है कि सरकार बहुत सी अच्छी-अच्छी नीतियाँ तो लाती है परंतु भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा उनके लाभ को जनता तक नहीं पहुँचने दिया जाता। ऐसी परिस्थितियों में यदि जनता अपनी आवाज उठाती है तो यह संभव ही नहीं है कि कोई भ्रष्ट अधिकारी ऐसा करने का सोच भी सके।

जिस किसी भी देश के नागरिक नियमों और अपनी देश की राजनीति की समझ नहीं रखते वहाँ की सामाजिक व आर्थिक दशा किसी से भी छुपी नहीं होती। उदाहरण के लिए हम

भारत के पड़ोसी देशों जैसेः-श्रीलंका, पाकिस्तान व अफगानिस्तान को देख सकते है। जिस तरह का प्रदर्शन श्रीलंका के नागरिक आज कर रहे है वैसी रूचि उन्होंने कुछ सालों पहले देश की राजनीति में दिखाई होती तो आज उसकी खस्ता हालत न होती। वहाँ की राजनीति में पिछले कुछ दशकों से एक ही परिवार का वर्चस्व देखने में आया है। जनता ने भी कभी इसके विरूद्ध आवाज नहीं उठाई और आज देश जब दिवालिया हो गया है तो ऐसे प्रर्दशन से कोई खास लाभ नहीं होगा।

अफगानिस्तान व पाकिस्तान की हालत भी कुछ कम खराब नहीं है। वहाँ की राजनीति भ्रष्ट लोगों के हाथों में है। देश का भला तब तक नहीं हो सकता जब तक वहाँ का प्रत्येक नागरिक यह कर्तव्य न समझे कि देश की राजनीति में बेदाग नेताओं को भेजना उनका सर्वोपरी कर्तव्य है।

विश्व के किसी भी देश को देखें जहाँ की आम जनता सजग है वह देश या तो आर्थिक रूप से सशक्त है या वहाँ अमन व शांति है। हाल ही में आई कुछ रिर्पोटों ने बताया है कि भारत 2021 तक विश्व की चौथी तथा 2029 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसा केवल यहां के नागरिकों की राजनीति में सकारात्मक भूमिका से ही संभव हुआ है और आगे भी तभी संभव हो पाएगा। एक सजग नागरिक ही सही मायनों में सच्चा देश भक्त होता है। प्रत्येक देश के नागरिक को देश की राजनीति में अच्छे व ईमानदार लोगों का चयन करना चाहिए ताकि हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकें।

कु. संगीता परिहार
एम.टी.एस

****

आधुनिक भारत में अपने अस्तित्व को तलाशती राजभाषा

भूमिकाः- भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। कोस-कोस की दूरी पर लोगों की बोलचाल की भाषा में परिवर्तन आ जाता है। विभिन्न भाषाएं बोली जाने के बाद भी हिंदी भाषा हम सभी को प्रिय है। यह सरल है और सुगम है। परन्तु हिंदी भाषा को उतना सम्मान आजतक नहीं मिल पाया जितना कि इसे मिलना चाहिए था।

विमर्शः- भारत जब आजाद हुआ तो कई सारी भाषाएं यहां पर जन्म लेकर फल फूल रही थी। लोगों के बोलचाल में कई तरह की भाषाएं थी राजकाज में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता था जिसका कारण अंग्रेजी हुकूमत था। हमेशा ऐसा ही हुआ है कि यथा राजा तथा प्रजा। हम पर जब भारतीय राजाओं ने राज किया तो संस्कृत भाषा प्रचलन में थी। जब मुस्लिम वंशजों का शासन रहा तो वो ऊर्दू साथ ले आए। इसी तरह आजादी तक अंग्रेजी भाषा प्रचलन में रही। जब आजाद हुए तब देश की संविधान सभा ने निर्णय किया कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। हालांकि इसका जमकर विरोध भी हुआ। परन्तु अथक प्रयासों के बाद 14 सितम्बर 1949 को हिंदी की राजभाषा के रुप में मान्यता मिली और तभी से हर साल 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा बनाया गया है इसका तात्पर्य यह है सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। विभिन्न प्रकार के पत्र जैसे कि सरकारी पत्र ज्ञापन, कार्यालय आदेश आदि हिंदी में ही प्रेषित किए जाए। महत्वपूर्ण सूचनाएं हिंदी में ही भेजी जाएं।

किसी ने कहा है

बना के इसे राज की भाषा
अच्छा किया तुमने
न बना के इसे काज की भाषा
गच्चा दिया तुमने
हिंदी है विज्ञान की भाषा
हिंदी है मान की भाषा
तो उठ जाग हुँकार भर
हिंदी भाषी देश में फिर से प्राण भर।

आधुनिक भारत वैसे तो विश्व पटल पर नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी हिंदी का प्रचार प्रसार करते रहते है। केन्द्रीय सरकारें भी समय-समय पर नए-नए कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी में प्राण फूंकने का काम कर ही रही है। जैसे कुछ ही समय पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा लीला हिंदी एप के माध्यम से ऑनलाइन हिंदी पढ़ने वालो को सुगमता प्रदान की गई है। हिंदी पखवाड़ों का आयोजन साल दर साल ऑफिसों कालेजों में किया जाता रहा है ताकि नई पीढी हिंदी भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए प्रेरित हो सके। हालांकि युवा आजकल भौतिकता के प्रलोभन में हिंदी का प्रयोग करना अपनी शान के खिलाफ समझते है। हिंदीभाषी लोगों को हीन भावना से देखते हैं। परन्तु सच यह है कि हिंदी से अधिक मनमोहक सुगम सरल और वैज्ञानिक भाषा कोई नहीं है। अंग्रेजी भाषा आवश्यक है यह हमें स्वीकार है परन्तु अंग्रेजी भाषा के कारण हिंदी को दरकिनार कर दिया जाए यह उचित नहीं है। हिंदी मन के भीतर खुलने वाली खिड़की है जिससे हम सरलता से अपने मन के विचार सामने वाले को बता पाते है। जैसे भगवान के हों तो पाद, संगीत में हो तो पद काम मे अड़ाओं तो टॉग, चलते से गिराओ तो टंगड़ी, बड़ो के हुए तो चरण, योगियों के हो तो पादुका। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी भाषा वह भाषा है जिसमें शब्द का प्रयोग करते ही समझ आ जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है।

कोई भी भाषा तभी जीवित रहती है जब उसे प्रयोग किया जाए अन्यथा संसार से पहले भी कई भाषाऐं लुप्त हो चुकी है। हमें हिंदी भाषा को हीन समझने की मानसिकता में बदलाव करने की जरूरत है। इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए और जो इसे सीखना चाहते है उन्हें इसके वैज्ञानिक एवं शुद्ध रूप से अवगत करवाना चाहिए। हमारे संस्थान मे भी नियमित रूप से हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। हिंदी विभाग के कर्मचारी अधिकारी अन्य कर्मचारियों को प्रेरित करते रहते हैं कि वे हिंदी राजभाषा में कार्य करें। हिंदी का ज्ञान प्रचार-प्रसार के लिए समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इनकी भूमिका प्रशंसनीय है और निःसंदेह हिंदी की प्रगति को बढ़ाने में सार्थक भी है।

उपसंहारः-

अंत मे यही कहना चाहूँगी की दिखावे की दुनिया से ऊपर उठ कर, हमें अपनी मातृभाषा, हमारी राजभाषा हिंदी को वही सम्मान दिलवाना चाहिए जिसकी यह हकदार है।

ऐसा तभी हो पाएगा जब हम सब हिंदी बोलने में, हिंदी में कार्य करने में हीनता नहीं अपितु गर्व समझेंगे।

सब फिर से शुरू हो सकता है
गर कोशिश करें तो
बोल ना पाएं तो भी क्या
गर समझें तो
हिंदी हैं तो हम हैं
हिंदी है तो सब है।

निरुपमा गौतम
सहायक प्रावैधिक अधिकारी

****

स्वरचित लेख

स्टॉक एक्सचेंज की कार्यप्रणाली

हम लोग प्रतिदिन स्टॉक एक्सचेंज की खबरे टी वी,अखबारों व संचार के सभी माध्यमों में सुनते, देखते व पढ़ते हैं। परन्तु हम में से कितने लोग होंगे जो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानते हैं, या इसकी गतिविधियों से परिचित है।शायद बहुत कम लोग जानते है। यहाँ बताना चाहता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी संस्था या व्यक्तियों का समूह है जो प्रतिभूतियों को खरीदने व बेचने में सहायता करने, विनियमन व नियंत्रण करने का कार्य करता है। ये जहाँ एक ओर मौजूदा प्रतिभूतियों को खरीदने व बेचने का एक आधार उपलब्ध करवाता है, वहींप्रतिभूतियों को मुद्रा व मुद्रा को प्रतिभूतियों में बदलने का भी कार्य करता है। यह निवेशक को निवेश व विनिवेश करने का अवसर भीप्रदान करता है।

स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की कीमतें उनकी माँग व आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। यह प्रतिभूतियों का निरन्तर मूल्यांकन करता हैव प्रतिभूतियों का मूल्य दर्शाता है। यह निवेशकर्ता को उसके निवेश का वर्तमान मूल्य बताता है।उदाहरण के लिए अधिक माँग के कारण अधिक लाभ देने वाली कंपनियों के शेयर की कीमतों का मूल्यांकन अधिक होता है, व घाटे में जा रही कंपनियों के शेयरों का मूल्यांकन कम माँग के कारण कम होता है। कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में तभी ट्रेडिंग कर सकती है जब वह उसमें सूचीबद्ध हो। सूचीबद्ध होने के पश्चात् भी कंपनियों को विधान के अंतर्गत काम करना होता है। ये निवेश व विनिवेश की एक प्रक्रिया है, जो कि पूंजी निर्माण व आर्थिक विकास को दर्शाता है। स्टॉक एक्स्चेंज एक स्वस्थ व वैधानिक सट्टे का बाजार उपलब्ध करवाता है ।

पहले किसी भी निवेशकर्ता को शेयर में निवेश करने पर कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता था, परन्तु आज कागज के सर्टिफिकेट को रखने की कुछ समस्याओं के कारण इसे डीमेट सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करने से पूर्व निवेशक को पंजीकृत ब्रोकर या सब ब्रोकर से एक अनुबन्ध करना होता है, तभी ब्रोकर निवेशक का ट्रेडिंग के लिए खाता खोलता है। इसके साथ ही निवेशक को एक डीमेट खाता भी खोलना होता है, जिसमें प्रतिभूतियों को हस्तांतरित किया जाता है।

श्री अतुल कुमार
कार्यालयअधीक्षक

निजी उद्यमों की चमक में ओझल होते सरकारी उद्यम

पुनर्जागरण, विज्ञान एंव तकनीकी विकास ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। जिससे भारी मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन अधिकता प्राप्त की गयी। लेकिन इसी पूंजीवाद नें संपत्ति के केंद्रीकरण को प्रोत्साहित किया जिसके परिणामस्वरुप पूंजीवादी यूरोप मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित हुआ। वर्गों में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ साथ ही लोकतंत्र की मान्यताए राष्ट्रीय राज्यों के साथ विकसित हुई। उसके बाद की साम्यवाद एवं समाजवाद की लहर आई। समाजवादी विचार, सामुदायिक संपत्ति, लोककल्याणकारी राज्य सबने इस सिद्धान्त का समर्थन किया कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के कल्याण के लिए प्रयास करे एवं ऐसे उद्यमों पर एकाधिकार स्थापित करे जिनसे सामाजिक सुख में वृद्धि होती हो।

भारतवर्ष 200 वर्षों तक औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत शोषित होता रहा। इस काल में देश के संसाधनों का विकास औपनिवेशिक ब्रिटेन के हित को देखते हुए एंव उनका दोहन मैनचेस्टर के बड़े फैक्ट्रियों के लाभ में किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विकास की दिशा में सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत अपना विकास करे कि साम्यवादी लेकिन उपरोक्त दोनों तरीकों से विकास के लिए आवश्यक संसाधन जैसे पूंजीवादी राष्ट्र के लिए एक समृद्ध पूंजीपति वर्ग एंव समाजवादी राष्ट्र के लिए विकसित वर्ग चेतना वाला समाज एंव समृद्ध राज्य का अभाव था।

इन सबकों ध्यान में रखते हुए तत्कालीन बुद्धिजीवी एंव राजनेताओं ने यह निर्धारित किया की भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों प्रकार की प्रणाली के समायोजन से चलेगी। इसके अन्तर्गत सरकार ने कुछ उद्यम अपने हाथ में ले लिए जैसे उर्जा, खनिज, बैंक आदि जबकि बाकी के क्षेत्र निजी उद्यम के लिए छोड़ दिये गए।

शुरुआत में इसे सरकार द्वारा प्रेरित औद्योगिकीकरण नें भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढाया लेकिन सरकारी उद्यम की कुछ सीमाएं थी। समय के साथ सरकारी कम्पनियां अकुशलता, अक्षमता के दुष्चक्र में फंस गई। इसके साथ ही निजी उद्यम भी क्रानी कैपिटलिज्म, लाइसेंसिंग एवं राशनिंग सिस्टम कें कारण बुरी तरह प्रभावित हुए। इन सबकी चरम अवनति की स्थिति 1991 में भारत की भुगतान संकट के रुप में हुई। 1991 के निजीकरण, उदारीकरण के सुधारों के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ गई।

लेकिन 1991 के बाद से भारतीय राजनीतिक विमर्श का प्रमुख विषय सरकारी उद्यमों

का निजीकरण व सरकार द्वारा विनिवेश की नीतियाँ रहीं है। सरकारी उद्यमों के निरन्तर हानि की स्थिति में होना, इस विनिवेश का प्रमुख कारण बताया गया। सरकारी उद्यमों की इस स्थिति का प्रमुख कारण लालफीताशाही व्यवस्था रही है। सरकारी कर्मचारियों की उपभोक्ता की ओर उदासीनता ने इसे नवीन एवं कुशल पद्धतियों से दूर रखा। इसका परिणाम पुरानी तकनीक एवं जर्जर व्यवस्था रही । इसके अतिरिक्त सरकारी उद्यम में स्वायत्ता का अभाव भी था जिस वजह से उद्यमों का महत्वपूर्ण समय सरकारी अनुमतियों, सहमतियों में हुआ । कुशल एवं ईमानदार कार्मिकों के प्रोत्साहन के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था का अभाव था। सरकारी उद्यम के उत्तरदायित्व, मूल्यांकन एवं ऑडिट की व्यवस्थाओं में भी आवश्यक परिवर्तन नहीं हुए। रुढिवादी एंव पुरानी मान्यताओं का समर्थन, नवाचार एवं नये विचारों की स्वीकार्यता के अभाव ने भी इसे और गंभीर स्थिति में ला दिया। राजनीतिक नेतृत्व द्वारा भी निम्न राजनीतिक लाभ के लिए हानि में जा रहे उद्योंगों की समय जबाबदेही तय नहीं की गयी सरकार द्वारा भी घाटे की भरपाई करके व्यवस्था में सुधार के स्थान पर समस्याओं की अनदेखी की गयी। इन सभी के कारण सरकारी उद्यमों का कायापलट नहीं हो सका और कई बड़े उद्यमों ने निजी उद्यमों के आगे घुटने टेक दिए।

इसके विपरीत 1991 के सुधारों के पश्चात निजी उद्यमों के पास बाहर से पूंजी आई । आधारभूत अवसंरचना के विकास, बाजार के विस्तार के साथ ही उन्होंने अपना विकास किया और लगभग सभी क्षेत्रों में निजी उद्यम स्थापित हुए। लाभ से प्रेरित ये उद्यम जल्द ही अपने अपने क्षेत्र में स्थित सरकारी कंपनियों को टक्कर देने लगे एंव लुभावने विज्ञापनों नयी तकनीकियों का प्रयोग करके सरकारी कंपनियों को पीछे छोड़ने लगे।

जब सरकारी उद्यमों की स्थिति नें सुधार नहीं हुआ और लोककल्याणकारी योजनाओं, अवसंरचना विकास के लिए सरकार के पास बजट का अभाव होने लगा एंव सरकारी कंपनियों का कायापलट निकट भविष्य में संभव होता न देख सरकार ने इनसे अपना हाथ पीछे खींच लिया। विनिवेश एवं निजीकरण में बडी कंपनियों जैसे BALCO, HTL, हिंदुस्तान जिंक, कोल इंडिया, एयर इंडिया इसके प्रमुख उदाहरण है। कुछ कंपनियों में इस विनिवेशीकरण के पश्चात तीव्र सुधार हुए जिससे वे पुनः लाभ प्रदान करने वाले उपक्रम बन सकें लेकिन बहुत सी कंपनियाँ विनिवेशीकरण के पश्चात भी खुद को संभाल नही पायी।

वर्तमान समय में भारत का निजी क्षेत्रक देश की किसी भी जरुरत को पूरे करने में सक्षम

है। कोरोना काल में निजी उद्यमों द्वारा भारी मात्रा में वैक्सीन का निर्माण करना इसका उदाहरण है। चाहे उर्जा का क्षेत्र हो या रक्षा, अवसंरचना निर्माण, अंतरिक्ष विज्ञान, बैंकिंग स्वास्थ्य सेवाएं, संचार/दूरसंचार इन सभी क्षेत्रों में निजी उद्यमों नें भारी प्रगति की और आवश्यक सुविधाओं को जन जन तक अल्पकीमत पर उपलब्ध कराया है। जिससे आम नागरिकों के जीवनस्तर में सुधार हुआ है और सरकार पर से भी बोझ कम हुआ है।

यद्यपि निजी उद्यमों द्वारा बेहतर सुविधाएं एंव उपभोक्ता अनुकूल वस्तुए बनाई गई है परंतु निजी कंपनिया लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि इन कंपनियों द्वारा कई मानकों का उल्लंघन किया गया है जिससे काफी क्षति होती है। कई बार जल्दीबाजी में किये गए विनिवेश से सरकार को वांछित पूंजी भी नहीं प्राप्त होती है और काफी कम मूल्य पर सरकारी उपक्रमों को हस्तानांतरित करना पड़ता है। विनिवेश को घाटे के बजट की भरपाई का साधन नहीं माना जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जो देश के लिए सामरिक महत्व के हैं एवं सामाजिक कल्याण के लिए अतिआवश्यक है, उनका निजीकरण एंव विनिवेशीकरण करना उचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त उचित नियंत्रण, गुणवत्ता के मानकों को बनाए रखने के लिए दक्ष सरकारी विभाग होने चाहिए जिससे निजी कंपनियों की मनमानी को रोका जा सके।

सामाजिक सुख की वृद्धि सार्वजनिक वस्तुओं की उपस्थिति एवं उसके विस्तार से होती है। देश के नागरिकों का विकास एवं उनका उत्थान तब होता है जब देश के नागरिकों को उचित कीमत पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सकें। लोकतंत्र का आधार जनता की भागीदारी शासन प्रशासन के कार्यों से है जिसमें सरकारी उद्यम भी एक माध्यम बनते है और लोगों को देश से जुड़ाव का अवसर मिलता है। सरकार की प्रत्यक्ष तौर पर लोगों में उपस्थिति दिखती है। अतः सरकारी उद्यमों की पूरी तरह से समाप्ति एवं निजी क्षेत्रक पर निर्भरता उचित नहीं है। साथ ही सरकारी उपक्रमों को भी अपने यहाँ क्रांतिकारी संस्थागत सुधार की आवश्यकता है जिससे कि वह देश के लिए बोझ न बनकर देश के विकास के भवन में एक मजबूत स्तंभ की भूमिका निभाएं।

प्रशांत चंद
एम. टी. एस.
पुस्तकालय अनुभाग

स्व-रचित कविता
संकलन

"दृष्टिकोण"

कु.पूनम पाल

मैं माँ की ममता में मढी हुई,
कच्ची मिट्टी की गुडिया थी,

माता ने पाला पुचकारा,
मैं पहले शक्कर की पुड़िया थी,

थे नेत्र मगर इस दुनिया के,
रंगो का मुझको भान न था,

कौन है गोरा,कौन है काला,
इसका कोई ज्ञान न था,

मैं रंगभेद से परे रही,
हर रंग पली निखरी हर पल,

इसका उसका सबका खाया,
हर ढंग चली,बिखरी हर पल,

मैं सबकी गोदी में खेल सदा,
दुनिया में आगे बढती रही,

इससे उससे सबसे सीखा,
मैं शीर्षशिखर पर चढ़ती रही,

मैं मधुबाला, मैं मधुशाला,
मैं दिनकर की ललकार भी हूँ,

मैं आँसू हूँ,सबके दिल का,
मैं झाँसी की तलवार भी हूँ,

मैं शब्दों का हूँ खेल अमिट,
खुसरो की एक पहेली हूँ,

हर रंग,नस्ल और मजहब के,
बोली की एक सहेली हूँ,

कहने को है बहुत मगर ,
मेरी भी इक मर्यादा है,

मुझको मानो, सीखो, समझो,
महत्व मेरा ही ज्यादा है,

हर गाँव देश में मान मिला,
मैं सबके माथे की बिंदी हूँ,

सब याद रखो मेरे प्रियजन,
मैं हिंदी हूँ,मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ।।

****

हिंदी

कु. संस्कृति शर्मा

हर परेशानी का हल होगा
आज नहीं तो कल होगा।
हिंदी पखवाड़ा पर मैं कहना चाहती हूँ
संस्कृत की एक लाड़ली बेटी है हिंदी,
ऐसी प्यारी भाषा है हिंदी।।

सरल शब्दों में कहूँ तो,
संस्कृति के जीवन का आधार है हिंदी
सबको अपनेपन से पास बुलाती है हिंदी
सरल है, सुन्दर है,
प्यारी है, मीठी है,
मनोहर भी है यह हिंदी।
आप सभी उपस्थित जनों को अपना,
परिचय देती है यह हिंदी।।

मोबाईल से नहीं, कंप्यूटर से नहीं,
अपने शब्दों पर ही अटल
रहती है यह हिंदी।
बच्चा जब जन्म लेता है,
हाँ-हाँ, हूँ-हूँ करते,
सीख जाता है हिंदी।।

हिंदी है हमारा कर्म
न करो इसे बोलने में शर्म,
अपनी हिंदी तो है अमर
इसकी करे जय-जयकार,
अन्त में संस्कृति करती है
नमस्कार ।।

सिलसिला ए जिंदगी

कु.नुपुर रैना

नई उम्मीद नई सुबह का नाम है जिंदगी
सूर्य की किरणों का प्रकाश है जिंदगी
चंद्रमा की शीतलता का पुंज है जिंदगी
टूटकर बिखरना फिर निखरने का नाम है जिंदगी।

नकारात्मकता से सकारात्मकता का सिलसिला है जिंदगी
पक्षियों की चहचहाट सुनकर मन का खुशनुभा होना है जिंदगी
खट्टा मीठा सा स्वाद है जिंदगी
सांसो के तानों वानों में उलझी है जिंदगी।

भगवान शिव का विश्वास माता पार्वती की प्रतीक्षा है जिंदगी
दुख की सलवट सुख के फूल सुहावने सी है जिंदगी
धूप की तपिश ठंड़ी छाव है जिंदगी
सुदर्शन चक्र की टंकार तो कभी मुरली की तान सी है जिंदगी।

पश्चाताप का आत्मचिंतन मधुर मुस्कान है जिंदगी
असफलता का दंश सफलता की गूंज है जिंदगी
न हार है न जीत है बस प्यार का गीत है जिंदगी
हंसते रहे मुस्कुराते रहे।

****

आये बादल

कु.सीमा

आये बादल
आये बादल
पानी जेबों में
भर लाए ।
इतने सारे ताल तलैया
कहाँ से तुम भर लाये,
जेबों में भी कहीं ठहरता पानी
बुद्धू..........................
बादल के पापा चिल्लाये
जेब उलट दी उसने झटपट
पानी बरसा टप-टप,टप-टप
आये बादल
आये बादल
उमड़-घुमड़ कर आये बादल
काले-धोले-नीले बादल
आये बादल
आये बादल

****

हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा

श्रीमती जागृति शर्मा

हिंदी मेरे राष्ट्र की भाषा
इसका अब सम्मान करो
हिंदी है जन-जन की भाषा
हिंदी का गुणगान करो।

हिंदी को अपनाकर अब
आओ इस पर अभिमान करो
अपने अरमानों को अपनी
भाषा में बयान करो ।।

देश भक्ति के रंग भरकर
हिंदी का श्रृंगार करो
हिंदी में रंग जाएं हम सब
हिंदी से ही प्यार करो ।।

हिंदी में सातो सुर होते
हिंदी में सुरपान करो
हिंदी सा,रे,म,प,ध
हिंदी का गुणगान करो ।।

हिंदी है वेदों की बेटी
इसका अमृतपान करो
हिंदी में ताण्डव होता है
इसमें नृत्यगान करो ।।

हिंदी को मत ठुकराना तुम
इस पर अब अभिमान करो
स्वदेश प्रेम में रंग जायें हम सब
राष्ट्र का गुणगान करें ।।

हिंदी मेरे राष्ट्र की भाषा
इसका हम सम्मान करें
हिंदी है जन-जन की भाषा
इसका हम गुणगान करें ।।

“खुशियों की तस्करी”

श्री अतुल कुमार

एक शख्स है शहर में,
खुशियाँ की तस्करी करता है,
बिना कोई टैक्स चुकाए,
हर दम मसखरी करता है।।

रात के सन्नाटे में न जाने कँहा से
वो हँसी चुरा कर लाता है,
और सुबह होने से पहले
प्रकृति की छटा और
बच्चों के होठों पर छोड़ जाता है।।

उसके इस अपराध पर,
कई मुल्कों की पुलिस को उसकी खोज है,
इतने तनाव भरे माहौल में,
खुशियां फैलाने वाला समाज पर बोझ है।।

यदि कोई शख्स हँसता
मुस्कुराता पाया जाएगा,
उसे शक के आधार पर
पूछ ताछ के लिए कोतवाली बुलाया जाएगा।।

खुशियों की तस्करी करने वाले
को पकड़वाने परईनाम दिया जाएगा,
वैधानिक तोर पर तनाव बांटने का
उसे लाईसेंस दिया जाएगा।।

तनाव,घृणा,ईर्ष्या के इस युग में
खुश रहना अपराध घोषित किया जाएगा,
हँसी खुशी फैलाने के जुर्म में,
उसे जेल में डाल दिया जाएगा।।

झलकियाँ

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
केंद्रीय अनुसंधान संस्थान
कसौली (हि॰प्र॰)
हिंदी कार्यशाला

हिंदी पखवाड़ा में आयोजित प्रतियोगिताओं की झलकियाँ

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
केंद्रीय अनुसंधान संस्थान
कसौली (हि०प्र०)
CENTRAL RESEARCH INSTITUTE
हिंदी पखवाड़ा
पुरस्कार वितरण समारोह
कान्हा

भारत सरकार
संस्थान
समारोह

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार

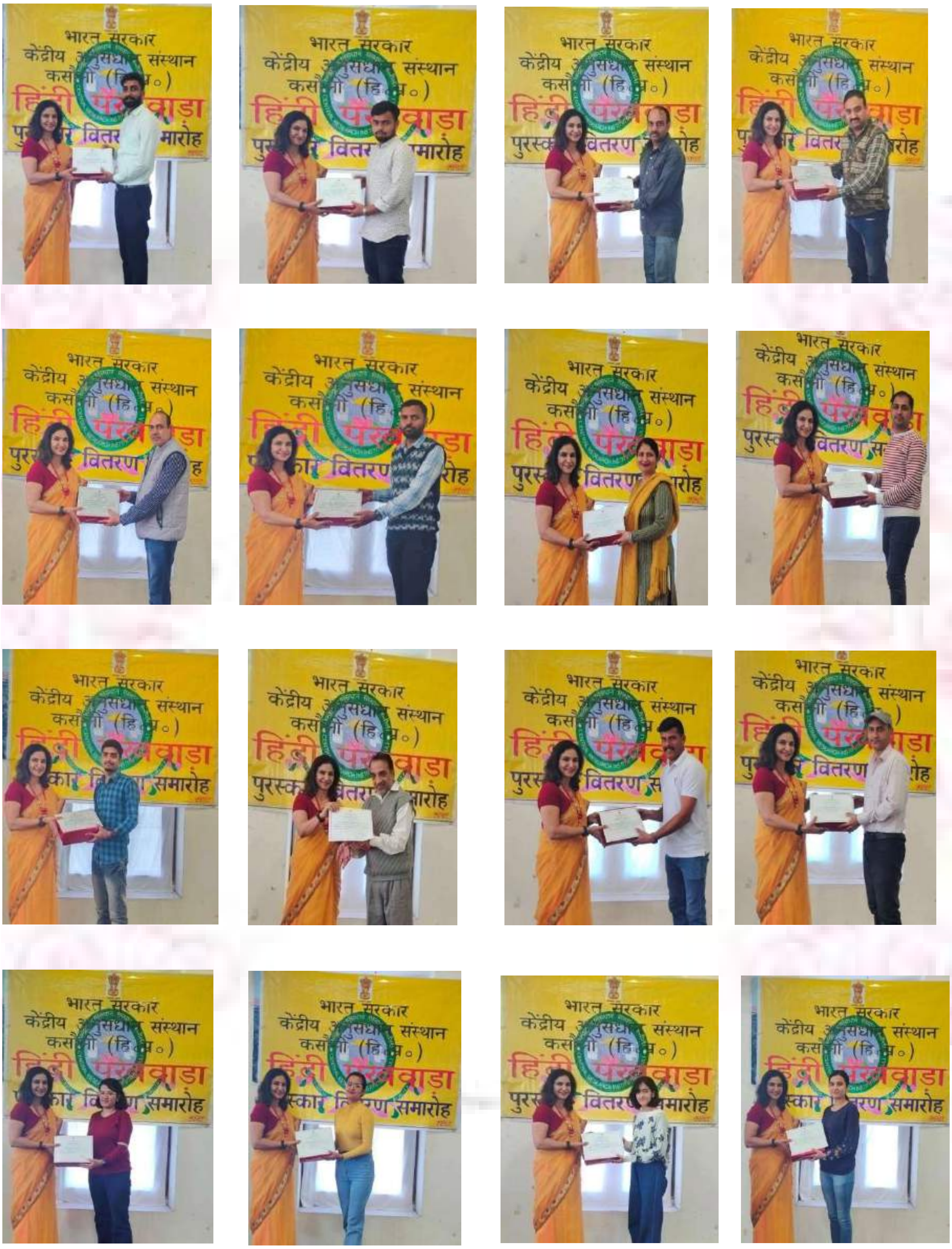
भारत सरकार
केंद्रीय
संस्थान

भारत सरकार
संस्थान

"हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है हिंदी को उन्नति के रास्ते पर ले जाना है सिर्फ एक दिन नहीं हमेशा हिंदी दिवस मनाना है।"

हिंदी अनुभाग,
केंद्रीय अनुसंधान संस्थान,
कसौली (हि.प्र) – 173 204

विविधताओं से भरे इस देश में,
लगी भाषाओं की फुलवारी है,
जिसमें हमको सबसे प्यारी
हिंदी मातृभाषा हमारी है।

जन -जन को जो मिलाती है।
वो भाषा हिंदी, राष्ट्र की भाषा ॥